बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 16/09/2020

अधिसूचना

संख्या-नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-11/2020 1638 चूंकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1 में अंकित 93 विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।**

3. अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **अनुलग्नक-1** में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 16.10.2020 (शुक्रवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 1311 दिनांक 12.06.2020 एवं पत्रांक 1312 दिनांक 12.06.2020 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.05.2020 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 09.07.2020 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छ: पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियॉ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तदनुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।

5. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए **प्रपत्र-ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 19.09.2020 (शनिवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

6. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7. **कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02-07-2020 द्वारा 700 मतदाताओं के वजाय 450 मतदाताओं पर मतदान केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त आदेश के अलोक में अतिरिक्त मतदान केन्द्रों का निर्धारण तुरंत कर लेना है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अतिरिक्त बनाये गये मतदान केन्द्रों के लिए समिति को कोई अतिरिक्त निर्वाचन शुल्क नहीं देना होगा। इसपर होने वाले व्यय का वहन प्राधिकार द्वारा किया जायगा। मतदान के समय भीड़-भाड़ से बचने हेतु मतदान का समय भी विस्तारित करके 6:30 बजे पूर्वाहन से 4:30 बजे अपराहृन तक किया गया है।** इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 1442 दिनांक 02.07.2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है।

8. समिति के चुनाव क्षेत्र के किसी भी हिस्से को दिनांक 19-09-2020 के बाद यदि कंटेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है या पूर्व से घोषित कंटेन्मेंट जोन की अवधि दिनांक 19-09-2020 के बाद समाप्त हो रही हो, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित समिति के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर देंगे एवं इसकी घटनोत्तर स्वीकृति प्राधिकार से प्राप्त करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से या किसी अन्य कारण से भी किसी समिति के चुनाव को स्थगित करने की स्थिति बनती है, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को इसकी अनुशंसा कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यदि पूर्व से घोषित मतदान केन्द्र कंटेन्मेंट जोन के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदधिकारी के अनुमोदन से मतदान केन्द्र बदल देंगे और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

9. कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर कोरोना संक्रमण से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे कि मतदान एवं मतगणना केन्द्र पर भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सामाजिक दूरी बनी रहे। पंक्तिवद्ध होने की स्थिति में एक-दूसरे के बीच मानक दूरी बनाये रखा जाय तथा मतदाताओं के हाथ को हैंड सेनिटाईजर/ साबून पानी से साफ किये जाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए संलग्न परिशिष्ट में अंकित व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की जायगी। हैंड सेनिटाईजेशन/ साबून पानी से हाथ साफ कराने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी एक अतिरिक्त कर्मी की व्यवस्था करेंगे, जिसके भुगतान के लिए प्राधिकार द्वारा राशि का आवंटन किया जायेगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।

16/9/20

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1638 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1638 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1638 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपि : संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित समिति की उपविधियाँ दिनांक 18.09.2020 (शुक्रवार) तक निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा उपविधियों के आधार पर जिन-जिन पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है, उसका विवरण भी अधिसूचना में निहित निदेशों के अनुसार आरक्षित पदों की स्थिति सहित निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध करा देंगे। साथ ही इस कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से भी संबंधित समितियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बुनकर, गुलजारबाग, नबाब बहादुर रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/20

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1638 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1638 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1638 पटना/ दिनांक 16/09/2020

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ श्री वीरेन्द्र महतो, सहायक/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	19.09.2020 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	04.10.2020 (रविवार) एवं 05.10.2020 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	06.10.2020 (मंगलवार) एवं 07.10.2020 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	09.10.2020 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	16.10.2020 (शुक्रवार) 6:30 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	16.10.2020 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
1	पटना	पटना सदर	अभियन्ता गृहनि0स0स0लि0, पटना
2	पटना	पटना सदर	जगदीवन राम लेन सह0उप0भंडार लि0, पटना
3	पटना	पटना सदर	मिठापुर तेल विक्रेता रिक्शा चालक स0स0लि0, पटना
4	पटना	पटना सदर	रतनतारा गृहनि0स0स0लि0, पटना
5	पटना	दानापुर	आदर्श स0गृ0नि0स0स0लि0, पटना
6	पटना	दानापुर	गोसाईटोला श्रमिक स0स0लि0, दानापुर
7	पटना	दानापुर	गाँधीनगर स0गृ0नि0स0स0लि0, पटना
8	पटना	पटना सदर	डी0डी0स0गृ0नि0स0लि0, पटना
9	पटना	पटना सदर	स्वामी विवेकानंद को-ऑपरेटिव हाउस कन्सट्रक्शन सो0लि0, बेगमपुर पटना सिटी, पटना
10	पटना	पटना सदर	कुसुमपुरम स0गृह निर्माण स0, शेखपुरा, पटना
11	पटना	पटना सदर	विधुतनगर सह0 गृहनि0स0, विधुत नगर सेक्टर, तिरूवन्तपुरम सिटी, पटना
12	पटना	पटना सदर	लोक हितैषी स0उ0भ0लि0, बिरूआ चक पटना सिटी
13	पटना	पटना सदर	अशोकपुरी स0गृ0नि0स0, पटना
14	पटना	दानापुर	सारण स0गृ0नि0स0लि0, दानापुर, पटना
15	पटना	पटना सदर	संदीप सहकारी उपभोक्ता भ0लि0, चित्रगुप्त नगर कंकड़बाग, पटना
16	पटना	पटना सदर	सुशीला नगर स0गृ0नि0स0लि0, बोरिंग रोड, पटना
17	पटना	पटना सदर	मेडिकल प्रेक्टीशनर्स एण्ड आदर्श गृ0नि0स0लि0, पटना सिटी
18	पटना	पटना सदर	गुदरी बाजार सिलाई-बुनाई प्रशिक्षण -सह- वस्त्र उत्पादक औधौगिक महिला सहयोग समिति
19	पटना	दानापुर	आदर्श को-ऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज लि0, दानापुर
20	पटना	दानापुर	दानापुर निजामत नगर पालिका वार्ड नं0-05 सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0
21	पटना	दानापुर	दानापुर आदर्श मोटर परिवहन स0स0लि0 वार्ड नं0-05
22	पटना	दानापुर	गोसाई टोला सर्वोदय सहयोग स0सलि0, दानापुर
23	नवादा	मेसकोर	मेसकौर श्रमिक स0स0लि0, मेसकौर
24	गया	बेलागंज	सिमरा श्रमिक स0स0लि0,
25	नालन्दा	बिहारशरीफ	गुलजार न0-01 प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सोहडीह, बिहारशरीफ
26	नालन्दा	बिहारशरीफ	अलीनगर प्रा0 बुनकर स0स0लि0, बिहारशरीफ
27	नालन्दा	सिलाव	नेपुरा सिल्क प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सिलाव
28	नालन्दा	बिहारशरीफ	सोहडीह स0उप0 लि0, सोहडीह
29	नालन्दा	बिहारशरीफ	आदर्श प्राथमिक स0उप0 लि0, सोहडीह
30	नालन्दा	इस्लामपुर	अंसार नगर प्राथमिक उप0भं0 लि0, इस्लामपुर, नालंदा
31	नालन्दा	बिहारशरीफ	मखदुम प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सोहसराय
32	नालन्दा	बिहारशरीफ	आजाद न0 1 प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सोहडीह,
33	नालन्दा	बिहारशरीफ	परिवार प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, बिहारशरीफ

अनुलग्नक

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
34	नालन्दा	बिहारशरीफ	खुर्द बिहार प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सोहडीह
35	नालन्दा	बिहारशरीफ	सोहडीह तॉंती प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सोहसराय
36	नालन्दा	बिहारशरीफ	नालन्दा प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, बिहारशरीफ
37	नालन्दा	बिहारशरीफ	बसवनबिगहा प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, बिहारशरीफ
38	नालन्दा	बिहारशरीफ	प्रशिक्षित इमादपुर तांती प्राथमिक बनुकर स0स0लि0, इमादपुर
39	नालन्दा	बिहारशरीफ	बिहार तांती प्राथमिक बनुकर स0स0लि0, भैसासुर
40	नालन्दा	बिहारशरीफ	अशोक प्राथमिक बनुकर स0स0लि0, सोहडीह
41	नालन्दा	बिहारशरीफ	शंकर प्राथमिक बनुकर स0स0लि0, इमादपुर
42	नालन्दा	बिहारशरीफ	श्रीस्तल रेशम एवं सूती वस्त्र निर्माण प्राथमिक बनुकर स0स0लि0, अम्बेर
43	भागलपुर	कहलगॉव	मकसपुर प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
44	भागलपुर	गोराडीह	मिरनचक प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
45	भागलपुर	खरीक	ध्रुवगंज प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
46	भागलपुर	जगदीशपुर	राजा सिल्क प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
47	भागलपुर	जगदीशपुर	चमेलीचक प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
48	भागलपुर	जगदीशपुर	कमालचक मुस्तफापुर प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
49	भागलपुर	नाथनगर	युनाईटेड ग्रामोधोग प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
50	भागलपुर	नाथनगर	दीपक सिल्क प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
51	भागलपुर	नाथनगर	चम्पानगर तांती प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
52	भागलपुर	नाथनगर	श्रीरामपुर प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
53	भागलपुर	नाथनगर	नेशनल प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
54	भागलपुर	नाथनगर	किरण सिल्क प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
55	भागलपुर	नाथनगर	नाज प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
56	भागलपुर	नाथनगर	भारत सिल्क प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
57	भागलपुर	नाथनगर	आईडियल प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
58	भागलपुर	नाथनगर	ग्राम सेवक सिल्क प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
59	भागलपुर	नाथनगर	नरगानूर प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
60	भागलपुर	नाथनगर	गॉधी प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
61	भागलपुर	नाथनगर	चॉंद सिल्क प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
62	भागलपुर	शाहकुंड	खैरा प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
63	वैशाली	महुआ	मिरजा नगर ग्रामोदय सहयोग समिति लि0
64	रोहतास	नासरीगंज	मोरोझिया प्राथमिक कम्बल बुनकर स0स0लि0
65	रोहतास	शिवसागर	सिलारी गोपालपुर प्राथमिक कम्बल बुनकर स0स0लि0
66	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	आर0 एम0 एस0 एण्ड यू0 डिवीजन को-ऑपरेटिव स0 लि0, पंखा टोली, मुजफ्फरपुर

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	2	3	4
67	पटना	पटना सदर	सी0डी0ए0 इम्प्लॉयज हाउस कन्सट्रक्सन सोसायटी लि0, पटना
68	पटना	पटना सदर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सिनियर सुपरभाईजिंग स्टॉफ हाउस को आपरेटिव स0स0लि0
69	पटना	पालीगंज	शांति प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सिंगोडी
70	पटना	पालीगंज	सोहाना प्राथमिक बुनकर स0स0लि0, सिंगोडी
71	सारण	मढौरा	तेजपुरवा ईट भट्टा निर्माण स0स0लि0, तेजपुरवा
72	सारण	मढौरा	तेजपुरवा श्रमिक स0स0लि0, तेजपुरवा
73	सारण	मढौरा	मढौरा सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0, तेजपुरवा
74	सारण	मढौरा	मढौरा दाल तेल उत्पादक स0स0लि0, तेजपुरवा
75	नवादा	नवादा	कादिरगंज पचोहिया प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
76	नवादा	नवादा	गोपालगंज सिल्क उत्पादक प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
77	नवादा	नवादा	कृष्णापुर सिल्क उत्पादक प्राथमिक बुनकर स0स0लि0
78	मधुबनी	झंझारपुर	भरौल ग्रामोदय स0स0लि0
79	पटना	पटना सदर	शिवाजी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
80	पटना	पटना सदर	अनुसूचित जाति टोकरी निर्माण ओधौगिक स0स0सलि0
81	पटना	पटना सदर	बासा सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0
82	पटना	पटना सदर	पटना सिटी सहकारी कोल्ड स्टोरेज लि0 करमलीचक
83	पटना	पटना सदर	अम्बेदकर निकेतन अनु0 जाति सह0 गृह निर्माण स0लि0
84	पटना	पटना सदर	वैशाली को- आ0 हा0 सो0 लि0
85	पटना	पटना सदर	साकेत सहकारी गृह निर्माण लि0, मीठापुर
86	पटना	पटना सदर	अनुसूचित जाति मोटर परिवहन स0स0लि0
87	पटना	फतुहा	फतुहा स्टेशन रोड सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0
88	पटना	पटना सदर	जगदेव सहकारी गृह निर्माण लि0, बेली रोड, पटना
89	कटिहार	कटिहार	कटिहार कैटरिंग एण्ड भेण्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि0
90	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0, मुजफ्फरपुर
91	बांका	धोरैया	नौवाबांध प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि0
92	बांका	धोरैया	अहिरो सिंगापुर प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लि0
93	मुजफ्फरपुर	मुशहरी	मणिका मोमिनपुर ग्रामोदय सहयोग समिति लि0

मतदान केन्द्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाएँ:-

1. मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पूर्व सेनेटाईज किया जाएगा। बैलेट बॉक्स एवं सेनिटाईज करने योग्य अन्य सामग्रियों को भी सेनिटाईज किया जाएगा।
2. मतदान केन्द्र पर कार्यरत मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मास्क एवं डिस्पोज़ेबल ग्लब्स उपलब्ध कराये जाएँगे।
3. मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता के प्रवेश के वक्त ही उनके हाथों को साबुन-पानी से धोने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक प्लास्टिक की बाल्टी, मग एवं साबुन की व्यवस्था की जाएगी।
4. मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश के वक्त प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मतदाता मास्क अथवा गमछा या अन्य कपड़े से मुँह-नाक ढके हों। केवल मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु इसे हटाया जा सकेगा। उस वक्त भी मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मतदाता को कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा।
6. मतदान केन्द्र पर लगने वाली कतार में सामाजिक दूरी का पालन हो सके, इसके लिए कम-से-कम एक मीटर की दूरी पर गोल घेरा बनाया जाएगा, जिसमें मतदाता खड़े होंगे।
7. मतदान हेतु कमरे में प्रवेश करते वक्त प्रत्येक मतदाता के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से सेनिटाईज किया जाएगा।
8. वोटिंग स्टीक को पकड़ने के लिए टिश्यू पेपर की व्यवस्था की जाएगी। वोटिंग करने के पश्चात् मतदाता द्वारा इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर को डस्टबीन में डाल दिया जाएगा। इसे अन्यत्र नहीं फेंका जाएगा।
9. मतदान के पश्चात् कमरे से बाहर निकलने वाले मतदाताओं के हाथों को हैंड सेनिटाईजर से पुनः सेनिटाईज किया जाएगा।
10. पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान कर्मी द्वारा भी मतपत्र देने में नियमानुकूल सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।
11. मतदान कार्य समाप्ति के पश्चात् मतदान कर्मी डिस्पोसेबल ग्लब्स/ मास्क एवं प्रयुक्त टिश्यु पेपर इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप डिस्पोजल कराएँगे। जिला पदाधिकारी इसके लिए सिविल सर्जन के माध्यम से व्यवस्था कराएँगे।
12. मतदान केन्द्र पर उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निरोधात्मक उपायों एवं सामान्य मानक प्रक्रिया का भी ध्यान रखा जाएगा।

——0——